



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 अग्रहायण, 1946 (श०)

संख्या - 768 राँची, बुधवार,

4 दिसम्बर, 2024 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

3 दिसम्बर, 2024

संख्या-09/आरोप-राँची-91/2019- 3709/ रा--(09)/रा.--श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, खलारी संप्रति सेवानिवृत्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राँची के विरुद्ध खलारी अंचल के मौजा-होयर के सरकारी भूमि के रैयतीकरण के आरोप में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, राँची का पत्रांक- 1568(ii)/स्था०, दिनांक-30.12.2020 द्वारा आरोप पत्र विभाग को प्राप्त हुआ है।

2. आरोप पत्र में गठित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-490/रा०, दिनांक-09.02.2021 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गई। उक्त के आलोक में श्री सिंह द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

3. श्री सिंह के विरुद्ध उक्त मामले में विधि विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-28/जे०, दिनांक-14.02.2019 द्वारा भारतीय दण्ड विधान की धारा-409/406/420/467/468/471/109/120बी० तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-19(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम की धारा-13(2) सहपठित धारा-13(1)(सी)(डी) के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. श्री सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप, श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।
5. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश ज्ञापांक-3111, दिनांक-06.05.2024 द्वारा श्री कमल जॉन लकड़ा, (सेवानिवृत्त भा०प्र०से०) को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग हेतु विभागीय जाँच पदाधिकारी नामित किया गया है ।
6. अतः विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री कमल जॉन लकड़ा, (सेवानिवृत्त भा०प्र०से०) विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है तथा अपर समाहर्ता, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है ।
7. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रामवृक्ष महतो,

सरकार के उप सचिव ।
